19/1/21 अभि० अनापक्ष उप० हो रिपोर्ट प्रस्तु हो। शामिल रहे। अभि० अनापक्ष को सुना गया। बहस मुताबिक प्रार्थना पत्र एवं जवाब के अनुसार रही।

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 4868 रकबा 0.66 है०, ख.नं. 4869 रकबा 0.25 है० वाके ग्राम पंवालिया तहसील टोडारायसिंह प्रार्थीगण कब्जे काश्त एवं खातेदारी की है। ख.नं. 4855 सड़क ग्राम पंवालिया से होकर ख.नं. 4860 सरकारी भूमि के पास से होकर ख.नं. 4859 ~~सरकारी~~ की दक्षिणी मेड़ के सहारे 2 से प्रवेश कर रास्ते के अधिकार का उपयोग प्रार्थीगण निर्विघ्न रूप से करते आ रहे हैं। उक्त स्थल से होकर प्रार्थीगण आते जाते हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजी माल पर आने जाने हेतु अन्य रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 4859 के दक्षिणी मेड़ के सहारे 18 फिट चौड़ा रास्ता दिलाया जावे। अत: प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 4868, 4869 वाके

Rubby

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पंवालिया में आने जाने हेतु आराजी ख. नं. 4859 के दक्षिणी मेड़ के सहारे 18 फिट चौड़ा रास्ता उचित संदाय पर दिया जाकर रिकार्ड राजस्व में अंकन करवाये जावे। प्रा०पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत 2073-2076 खाता संख्या 265, 902, व 354 वाके ग्राम पंवालिया, नक्शा, फोटो फैसला न्याय उपसमिति पंवालिया पेश किये।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी नं. 6 ता 10 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं सो कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख. नं. 4859 रकबा 2.28 है० अप्रार्थीगण की पैतृक मौरूसी आराजी है जो लगभग 60 वर्ष पूर्व अप्रार्थीगण के पूर्वज रामदेव को अलाट हुई थी तब अप्रार्थीगण उक्त आराजी को काश्त कर रहे है कभी भी दक्षिणी मेड़ के सहारे होकर ख. नं. 4868 व 4869 में आने जाने का रास्ता नहीं रहा है प्रार्थीगण के खेतों में जाने का रास्ता ख. नं. 4861 चरागाह भूमि में ख. नं. 4863 जो पूर्व में राजकीय भूमि थी जो वर्तमान में कुम्हार को अलॉट हुई है जो अप्रार्थीगण के बाद की है प्रार्थीगण ख. नं. 4863 में से होकर अपनी आराजी में सदैव से मौके पर आते जाते रहे है प्रार्थीगण गांव की आबादी में से होकर ख. नं. 4866, 4825, 4872 के सहारे होकर अपने खेत में आ जा रहे है अतः प्रा०पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे। जवाब के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत 2073-76 खाता सं. 541, नक्शे की फोटो प्रति पेश किये।

तहसीलदार को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर पहुंचने हेतु रास्ते के बाबत मौके रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट पेश की जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि खसरा नम्बर 4868, 4869 वाके ग्राम पंवालियां में आने जाने हेतु ख. नं. 4859 की दक्षिणी मेड़ के सहारे होकर रास्ता चाहता है वर्षों से यहीं होकर आता जाता रहा है मौके पर ख. नं. 4859 में खम्भे गाडकर तारबन्दी कर रखी है वर्तमान में फसल काश्त हो

Ruby

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म में

रखी है ख. नं. 4859 में रास्ते से कोई परिवर्तन नहीं है ख. नं. 4855 गै. मु. सड़क मौके पर के दक्षिणी पूर्वी कोने में खेतों में जाने के लिए ग्रेवल सड़क बनी हुई है प्रार्थीगण द्वारा ख. नं. 4859 में दक्षिणी मेड़ के सहारे रास्ते की मांग की गई है जिसकी नियमानुसार DLC प्रार्थी द्वारा जमा करवाई जानी उचित है प्रार्थीगण द्वारा की गई रास्ते की मांग के अनुसार ख. नं. 4859 में 120 मीटर x 5 मीटर = 600 वर्गमीटर प्रस्तावित नक्शा ट्रेस संलग्न है

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया बहस पर मनन किया। तहसीलदार द्वारा रास्ते के बाबत औचित्य रिपोर्ट पेश की है, जहां से होकर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 4868, 4869 वाके ग्राम पंचालिया में आने जाने हेतु ख. नं. 4855 गै. मु. सड़क से होकर ख. नं. 4859 की दक्षिणी मेड़ के सहारे रिकार्ड राजस्व व नक्शा शीट में रास्ता कायम किया जाना उचित एवं न्यायोचित है

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मुताबिक रिपोर्ट वाके ग्राम पंचालिया की ख. नं. 4855 गै. मु. सड़क मौके पर बनी हुई है उससे आगे ख. नं. 4859 में दक्षिणी मेड़ के सहारे 120 मीटर लम्बा एवं 5 मीटर चौड़ा = 600 वर्ग मीटर अर्थात 0.06 हे0 रकबा खातेदारों की खातेदारी से कम कर रिकार्ड राजस्व में सरकारी सिवायचक गै. मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड किये जाने तथा प्रस्तावित रास्ते की संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार नक्शा शीट में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है उक्त रास्ते की कीमत तहसीलदार से प्राप्त DLC दर Rs. 4,95,557/- का नियमानुसार Rs. 9,91,114/- के अनुसार Rs. 59,470/- अक्षरे उनसठ हजार चार सौ सत्तर रुपये मात्र कायम

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की जाती है जिसका भुगतान प्रार्थीगण द्वारा संबंधित खातेदारान अप्रार्थीगण को किया जाना है। प्रार्थीगण को निर्देश हैं कि उक्त कायम की गई राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट संबंधित खातेदारों के नाम उनके हिस्सों के अनुसार बनाकर न्यायालय में पेश करें। तहसीलदार को डिमाण्ड ड्राफ्ट व नक्शे की अनुमोदित प्रति पालनार्थ प्रेषित हो। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। हुक्म आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	Ruby उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह (टोंक)	